

दिनांक 06 फरवरी 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

**निर्यात संवर्धन मिशन का कार्यान्वयन**

87 # श्रीमती सीमा द्विवेदी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) निर्यात संवर्धन मिशन के माध्यम से भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने तथा वैश्विक बाजारों में निर्यातकों को समर्थन प्रदान करने का लक्ष्य किस प्रकार प्राप्त किया जा रहा है;
- (ख) उक्त मिशन के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत कुल धनराशि कितनी है और उसके राज्य-वार आवंटन का ब्यौरा है; और
- (ग) उप-योजना निर्यात प्रोत्साहन के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को व्यापार वित्त तथा अन्य सहायक उपायों तक पहुंच किस प्रकार प्रदान की जा रही है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

वाणिज्य और उद्योग मंत्री  
(श्री पीयूष गोयल)

(क)से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“निर्यात संवर्धन मिशन के कार्यान्वयन” के संबंध में दिनांक 6 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 87 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 12 नवंबर, 2025 को निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मज़बूत करना और वैश्विक बाजारों में निर्यातकों को लक्षित सहायता प्रदान करना है, जिसमें विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर ध्यान केन्द्रित करना है।

निर्यात संवर्धन मिशन दो एकीकृत उप-स्कीमों के लिए बनाया गया है:

- निर्यात प्रोत्साहन- ब्याज सहायता, निर्यात फैक्ट्रिंग, निर्यात ऋण के लिए आनुषंगिक गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए ऋण और निर्यात विविधीकरण के लिए ऋण में वृद्धि करने संबंधी सहायता जैसे साधनों के माध्यम से व्यापार वित्त तक पहुंच बनाने में सुधार पर ध्यान केन्द्रित करती है।
- निर्यात दिशा- निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग और पैकेजिंग, बाजार पहुंच पहल, निर्यात लॉजिस्टिक्स और भंडारण, अंतर्देशीय परिवहन सहायता और व्यापार आसूचना जैसे अन्य व्यापार एनेबलर्स पर ध्यान केन्द्रित करती है।

(ख) निर्यात संवर्धन मिशन को वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक छह वर्षों के लिए कुल 25,060 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। यह पूरे भारत में निर्यातकों के लिए उपलब्ध है।

(ग) निर्यात प्रोत्साहन उप-योजना विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) निर्यातकों के लिए ब्याज सहायता, निर्यात फैक्ट्रिंग, निर्यात ऋण के लिए आनुषंगिक गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए ऋण सहायता और निर्यात विविधीकरण के लिए ऋण में वृद्धि करने संबंधी सहायता को कवर करने वाले पांच विशिष्ट मध्यस्थताओं के माध्यम से व्यापार वित्त तक पहुंच में सुधार पर ध्यान केन्द्रित करती है।

अब तक, एमएसएमई के लिए निर्यात प्रोत्साहन के अंतर्गत पूर्व और पश्च पोतलदान निर्यात ऋण के लिए ब्याज सहायता और निर्यात ऋण मध्यस्थताओं के लिए आनुषंगिक सहायता को संचलित किया गया है। शेष पहले चरणबद्ध तरीके से शुरू की जा रही हैं।

\*\*\*